

कार्यालय-प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,  
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

Email id: nodalofficerddn@gmail.com

Phone/Fax: 0135 2767611

G20

संख्या:- 1261

/12-1 देहरादून: दिनांक

8 नवम्बर, 2024

सेवा में,

उप वन महानिदेशक (के0),  
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,  
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, 25-सुभाष रोड़, देहरादून।

विषय :- चारधाम परियोजना के अन्तर्गत टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 125(नया 09) के चम्पावत बाईपास के निर्माण हेतु 8.94 हे0 वनभूमि का सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को प्रत्यावर्तन। (Online Proposal no. FP/UK/ROAD/31090/2017)।

संदर्भ :- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के ई0डी0एस0 दिनांक 22.08.2024।

गहोदय,

विषयांकित प्रकरण के सम्बन्ध में अवगतनीय है कि भारत सरकार के उपरोक्त EDS दिनांक 22.08.2024 के द्वारा चाही गयी सूचना के सम्बन्ध में वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा के पत्रांक 1005/12-1(2) दिनांक 18.10.2024 (प्रति संलग्न) से प्राप्त आख्या/सूचना निम्नानुसार उपलब्ध करायी गयी है :-

क. सं.	आपत्ति	निराकरण
1	The CA is proposed over Degraded Forest Land and as per the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhinyam 2023, the CA area is required to be provided over Non-Forest land.	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम 2023 में दिये गये प्राविधानों को भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना भारत का राजपत्र सी.जी.डी.एल.-अ.-20092024-257289 असाधारण भाग II- खण्ड 3-उप-खण्ड (i) नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 20, 2024 सा.का.नि. 582 (अ) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली, 20 सितम्बर, 2024 द्वारा वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 (1930 का 69) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम, 2023 का और संशोधन - किया गया है, जिसके पैरा 2 वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम, 2023 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है) के नियम 13 में, उपनियम (1) के तीसरे, चौथे और परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखा जायेगा, अर्थात्- "परंतु यह भी है कि, अपवादात्मक परिस्थितियों में जब इस उप-नियम के अधीन प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अपेक्षित उपयुक्त भूमि उपलब्ध नहीं है, तो प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अवक्रमित वन भूमि पर विचार किया जा सकता है।" (छायाप्रति संलग्न है) (संलग्नक-1) उक्त बाईपास मोटर मार्ग के सम्बन्ध में प्रस्तावक विभाग द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि यह मार्ग नेपाल एवं चीन सीमा को जोड़ता है, चीन सीमा के पास सुरक्षा बल तैनात हैं, जिस कारण सामरिक दृष्टि से यह मार्ग अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इस बाईपास मोटर मार्ग के बनने से उक्त सीमाओं को जाने वाले सुरक्षा बलों (आर्मी, आई०टी०बी०पी०, सीमा सुरक्षा बल आदि) को जाग एवं दुर्घटनाओं की स्थिति से बचाया जा सकता है।
2	Detailed reclamation plan for muck dumping area shall be submitted.	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि मलवा उम्पिंग क्षेत्र के लिये विस्तृत सुधार योजना संलग्न है। (संलग्नक-2)
3	As per the DSS analysis, the proposed diversion area becomes 23.58 ha instead of 8.94 ha. It shall	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि चम्पावत बाईपास मोटर मार्ग में भूमि निम्न प्रकार से प्रभावित हो रही है-

be rectified.

- A- बाईपास मोटर मार्ग की कुल लं० 9.87 कि०मी० है।  
B- बाईपास मोटर मार्ग की कुल चौड़ाई 24 मी०।  
C- बाईपास मोटर मार्ग में प्रभावित क्षे०  $9.870 \times 2.4 = 23.688$  हे०  
प्राइवेट भूमि का विवरण—

क. सं.	भूमि का प्रकार	लम्बाई (कि०मी०)	चौड़ाई (मी०)	क्षेत्रफल (हे०)	मलुवा निस्तारण हेतु प्रस्तावित भूमि	कुल क्षेत्रफल (हे०)
1	प्राइवेट	6.370	24	15.288	1.662	16.95

बाईपास मोटर मार्ग में प्रभावित वन भूमि का विवरण निम्न प्रकार है—

क. सं.	भूमि का प्रकार	लम्बाई (कि०मी०)	चौड़ाई (मी०)	क्षेत्रफल (हे०)	मलुवा निस्तारण हेतु प्रस्तावित भूमि	कुल क्षेत्रफल (हे०)
1	सिविल भूमि	1.550	24	3.72	0.19	3.91
2	वन पंचायत भूमि	1.450	24	3.48	0.15	3.63
3	आरक्षित भूमि	0.500	24	1.20	0.20	1.40
कुल प्रभावित वन भूमि		3.500	24	8.40	0.54	8.94

अतः प्रस्तावक विभाग के अनुसार उक्त बाईपास मोटर मार्ग में कुल भूमि 23.58 हे० प्रभावित न होकर 25.89 हे० प्रभावित हो रही है। जिसमें प्राइवेट भूमि मोटर मार्ग हेतु 15.288 हे०, मलुवा निस्तारण 1.662 हे०, इस प्रकार कुल प्राइवेट भूमि 16.95 हे० प्रभावित हो रही है। वन भूमि में मोटर मार्ग हेतु 8.400 हे०, मलुवा निस्तारण हेतु 0.540 हे०, इस प्रकार कुल 8.940 हे० प्रभावित हो रही है। के०एम०एल० फाईल में सिविल भूमि को पीले रंग से, वन पंचायत भूमि को नीले रंग से, आरक्षित को हरे रंग से एवं प्राइवेट भूमि को भूरा रंग से दर्शाया गया है। के०एम०एल० अपलोड की गयी है।

अतः वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी के अनुरोध के दृष्टिगत प्रकरण पर वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत यथोचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संतुष्ट—यथोपरि।

भवदीय,

(आर०के० मिश्र)

प्रमुख वन संरक्षक एवं  
नोडल अधिकारी, वन संरक्षण।

संख्या 1346 /12-1 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत।

(आर०के० मिश्र)

प्रमुख वन संरक्षक एवं  
नोडल अधिकारी, वन संरक्षण।

कार्यालय वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

Email : cfkumaon\_north@rediffmail.com , (05962) 231099 Fax : 230397

पत्रांक - 1005/12-1 (2) अल्मोड़ा, दिनांक, 18/10/2024.

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,  
वन संरक्षण, इन्दिरा नगर, फारेस्ट कालोनी,  
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :- चारधाम परियोजना के अर्न्तगत टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 125 (नया 09) के चम्पावत बाईपास के निर्माण हेतु 8.94 है० वनभूमि का सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ :- भारत सरकार की पत्र सं० 8बी/यू०सी०पी०/०६/११२/२०२१८ एफ०सी० दि० २२.०८.२०२४

महोदय,

विषयगत मोटर मार्ग के सम्बन्ध में प्रदर्शित आपत्तियों का निराकरण कर प्रभागीय वनाधिकारी, चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत के पत्रांक 1544/12-1 दिनांक 5.10.2024 द्वारा सूचित किया है, जिसे आपके सूचनार्थ प्रेषित किया जा रहा है। कृपया अग्रेत्तर कार्यवाही करना चाहें।

संलग्न- तीन प्रतियों में।

भवदीय

प्रभारी रा.राजमार्ग  
आ.का.के.रे,

25.10.2024  
2410-24

16/10/2024  
(डॉ. धीरेंद्र पाण्डेय)  
मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक,  
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

वन संरक्षण का संरक्षक एवं वन संरक्षण अधिकारी  
वन संरक्षण निदेशालय उत्तराखण्ड  
देहरादून  
पत्रांक सं० 1514  
कालोनी 121  
दिनांक 26-10-24

11 0 00 PM 2024

# कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत।

Phone No. 05965/230375- Fax No.230180 Email- dfo.champawat@rediffmail.com

पत्रांक 1544 / 12-1 दिनांक, चम्पावत 5-10-2024

शेया में,

✓ वन संरक्षक  
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,  
उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

विषय -- धारधाम परियोजना के अन्तर्गत टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 125(नया 09) के चम्पावत बाईपास के निर्माण हेतु 8.94 हे० वनभूमि का सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को प्रत्यावर्तन।

संदर्भ-- भारत सरकार की पत्र संख्या 8वीं/यू०सी०पी०/०८/112/20218/एफ०सी० दिनांक 22.08.2024 व अधिशासी अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो०नि०वि०, लोहाघाट की पत्र संख्या 1444/चारधाम परियोजना/चम्पावत बाईपास दिनांक 23.09.2024

गोधय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र में भारत सरकार द्वारा कुछ त्रुटियाँ अंकित की गयी थी जिसके अनुपालन में अधिशासी अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग, लो०नि०वि० द्वारा वर्णित आपत्तियों का निराकरण कर इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया है, जो कि निम्न प्रकार है-

क्र. सं.	आपत्ति	निराकरण
1	The CA is proposed over Degraded Forest Land and as per the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam 2023, the CA area is required to be provided over Non-Forest land.	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम 2023 में दिये गये प्राविधानों को भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना भारत का राजपत्र सी.जी.डी.एल.-अ.-20092024-257289 असाधारण भाग II-खण्ड 3-उप-खण्ड (i) नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 20, 2024 सा.का.नि. 582 (अ) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली, 20 सितम्बर, 2024 द्वारा वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 (1930 का 69) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कम केन्द्रीय सरकार वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम, 2023 का और संशोधन - किया गया है, जिसके पैरा 2 वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम, 2023 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है) के नियम 13 में, उपनियम (1) के तीसरे, चौथे और परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखा जायेगा, अर्थात्- "परंतु यह भी है कि, अपवादात्मक परिस्थितियों में जब इस उप-नियम के अधीन प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अपेक्षित उपयुक्त भूमि उपलब्ध नहीं है, तो प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अवक्रमित वन भूमि पर विचार किया जा सकता है।" (छायाप्रति संलग्न है) (संलग्नक-1) उक्त बाईपास मोटर मार्ग के सम्वन्ध में प्रस्तावक विभाग द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि यह मार्ग नेपाल एवं चीन सीमा को जोड़ता है, चीन सीमा के पास सुरक्षा बल तैनात हैं, जिस कारण सामरिक दृष्टि से यह मार्ग अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इस बाईपास मोटर मार्ग के बनने से उक्त सीमाओं को जाने वाले सुरक्षा बलों (आर्मी, आई०टी०वी०पी०, सीमा सुरक्षा बल आदि) को जाम एवं दुर्घटनाओं की स्थिति से बचाया जा सकता है।
2	Detailed reclamation plan for muck dumping area shall be submitted.	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि मलवा डम्पिंग क्षेत्र के लिये विस्तृत शुद्धार योजना संलग्न है। (संलग्नक-2)
3	As per the DSS analysis, the proposed diversion	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि चम्पावत बाईपास मोटर मार्ग में भूमि निम्न प्रकार से प्रभावित हो रही है-

area becomes 23.58 ha instead of 8.94 ha. It shall be rectified.

A- बाईपास मोटर मार्ग की कुल लं० 9.87 कि०मी० है।

B- बाईपास मोटर मार्ग की कुल चौड़ाई 24 मी०

C- बाईपास मोटर मार्ग में प्रभावित क्षे०  $9.870 \times 2.4 = 23.688$  हे०

प्राइवेट भूमि का विवरण-

क्र. सं.	भूमि का प्रकार	लम्बाई (कि०मी०)	चौड़ाई (मी०)	क्षेत्रफल (हे०)	मलुवा निस्तारण हेतु प्रस्तावित भूमि	कुल क्षेत्रफल (हे०)
1	प्राइवेट	6.370	24	15.288	1.662	16.95

बाईपास मोटर मार्ग में प्रभावित वन भूमि का विवरण निम्न प्रकार है-

क्र. सं.	भूमि का प्रकार	लम्बाई (कि०मी०)	चौड़ाई (मी०)	क्षेत्रफल (हे०)	मलुवा निस्तारण हेतु प्रस्तावित भूमि	कुल क्षेत्रफल (हे०)
1	सिविल भूमि	1.550	24	3.72	0.19	3.91
2	वन पंचायत भूमि	1.450	24	3.48	0.15	3.63
3	आरक्षित भूमि	0.500	24	1.20	0.20	1.40
कुल प्रभावित वन भूमि		3.500	24	8.40	0.54	8.94

अतः प्रस्तावक विभाग के अनुसार उक्त बाईपास मोटर मार्ग में कुल भूमि 23.58 हे० प्रभावित न होकर 25.89 हे० प्रभावित हो रही है। जिसमें प्राइवेट भूमि मोटर मार्ग हेतु 15.288 हे०, मलुवा निस्तारण 1.662 हे०, इस प्रकार कुल प्राइवेट भूमि 16.95 हे० प्रभावित हो रही है। वन भूमि में मोटर मार्ग हेतु 8.400 हे०, मलुवा निस्तारण हेतु 0.540 हे०, इस प्रकार कुल 8.940 हे० प्रभावित हो रही है। के०एम०एल० फाईल में सिविल भूमि को पीले रंग से, वन पंचायत भूमि को नीले रंग से, आरक्षित को हरे रंग से एवं प्राइवेट भूमि को भूरा रंग से दर्शाया गया है। के०एम०एल० अपलोड की गयी है।

प्रस्तावक विभाग द्वारा अनुरोध किया गया है कि उक्तानुसार अपने स्तर से सूचना प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी देहरादून को प्रेषित करने की कृपा करें।

अतः उपरोक्तानुसार सूचना आपके अवलोकनार्थ प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

  
(आर०सी० काण्डपाल)

प्रभागीय वनाधिकारी

चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत।

(M)

पत्रांक: 1544/12-1 उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।
2. जिलाधिकारी, चम्पावत को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. अधिशासी अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो०नि०वि०, लोहाघाट को सूचनार्थ प्रेषित।



प्रभागीय वनाधिकारी

चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत।

(M)

RD

## कार्यालय अधिशासी अभियन्ता राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लॉ0नि0वि0, लोहाघाट



संख्या 1444 / चारधाम परियोजना / चम्पावत चम्पावत राष्ट्रीय राजमार्ग अधिशासी अभियन्ता, दिनांक 23/09/2024  
सेवा में, प्रभागीय वनाधिकारी, चम्पावत वन प्रभाग चम्पावत।  
दिनांक 29.9.2024

विषय :- चारधाम परियोजना के अन्तर्गत टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 125(नया 09) के चम्पावत बाईपास के निर्माण हेतु 8.94 हे0 वनभूमि का सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को प्रत्यावर्तन।

महोदय,

उपरोक्त विषय में अनुरोध है कि भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय/क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्र सं0 8बी/यू0सी0पी0/06/112/2018/एफ0सी0 दिनांक 22/08/2024 के द्वारा उक्त वनभूमि प्रस्ताव में कुछ त्रुटियां/कमियां इंगित की गयी हैं, तथा कुछ सरकारी प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया है दस्तावेज निम्न प्रकार प्रेषित है-

क्र0 सं0	आपत्ति	निराकरण
1	The CA is proposed over Degraded Forest Land and as per the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) rules 2023, the CA area is required to be provided over Non-Forest Land.	वन संरक्षण एवं संवर्धन नियम 2023 में दिये गये प्राविधानों को भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना भारत का राजपत्र सी.जी.डी.एल.-अ.-20092024-257289 असाधारण भाग II-खण्ड 3-उप-खण्ड (i) नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 20, 2024 सा.का. नि. 582(अ) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली, 20 सितम्बर, 2024 द्वारा वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 (1980 का 69) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम, 2023 का और संसोधन किया गया है, जिसके पैरा 2 वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम, 2023 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है) के नियम 13 में, उपनियम (1) के तीसरे, चौथे और परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखा जायेगा, अर्थात्- " परंतु यह भी है कि, अपवादात्मक परिस्थितियों में जब इस उप-नियम के अधीन प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अपेक्षित उपयुक्त भूमि उपलब्ध नहीं है, तो प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अवक्रमित वन भूमि पर विचार किया जा सकता है। (छायाप्रति संलग्न है) (संलग्नक-1) उक्त बाईपास मोटर मार्ग के सम्बन्ध में यह भी अवगत कराना है कि यह मार्ग नेपाल एवं चीन सीमा को जोड़ता है, चीन सीमा के पास सुरक्षा बल तैनात हैं, जिस कारण सामरिक दृष्टि से यह मार्ग अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इस बाईपास मोटर मार्ग के बनने से उक्त सीमाओं को जाने वाले सुरक्षा बलों (आर्मी, आई0टी0वी0पी0, सीमा सुरक्षा बल आदि) को जाम एवं दुर्घटनाओं की स्थिति से बचाया जा सकता है।
2	Detailed reclamation plan for muck dumping area shall be submitted.	मलवा उन्मूलन क्षेत्र के लिये विस्तृत सुधार योजना संलग्न है। (संलग्नक-2)

श्री ए-11-114  
प्रवक्ष

क्रमशः पेज सं0-2

3	As per the DSS analysis, the proposed diversion area becomes 23.58 ha. Instead of 8.94 ha. It shall be rectified.	चम्पावत बाईपास मोटर मार्ग में भूमि निम्न प्रकार प्रभावित हो रही है-						
		A. बाईपास मोटर मार्ग की कुल लं० 9.87 कि०मी० है।						
		B. बाईपास मोटर मार्ग की कुल चौड़ाई 24 मी०						
		C. बाईपास मोटर मार्ग में प्रभावित क्षे० $9.870 \times 2.4 = 23.688$ हे०।						
		प्राइवेट भूमि का विवरण-						
		क्र सं	भूमि का प्रकार	लम्बाई (कि०मी०)	चौड़ाई (मी०)	क्षेत्रफल (हे०)	मलुवा निस्तारण	कुल क्षेत्रफल(हे०)
		1	प्राइवेट	6.370	24	15.288	1.662	16.95
		बाईपास मोटर मार्ग में प्रभावित वनभूमि का विवरण निम्न प्रकार है-						
		क्र सं	भूमि का प्रकार	लम्बाई (कि०मी०)	चौड़ाई (मी०)	क्षेत्रफल (हे०)	मलुवा निस्तारण	कुल क्षेत्रफल(हे०)
		1	सिविल	1.550	24	3.72	0.19	3.91
2	वन पंचायत	1.450	24	3.48	0.15	3.63		
3	आरक्षित	0.500	24	1.20	0.20	1.40		
	कुल प्रभावित वन भूमि	3.500	24	8.40	0.54	8.94		
उपरोक्तानुसार बाईपास मोटर मार्ग में कुल भूमि 23.58 हे० प्रभावित न होकर 25.89 हे० प्रभावित हो रही है, जिसमें प्राइवेट भूमि मोटर मार्ग हेतु 15.288 हे०, मलुवा निस्तारण हेतु 1.662 हे० कुल प्राइवेट भूमि 16.95 हे०, वनभूमि में मोटर मार्ग हेतु 8.400 हे०, मलुवा निस्तारण हेतु 0.540 हे० कुल 8.940 हे० प्रभावित हो रही है। KML फाईल में सिविल भूमि को पीले रंग से, वन पंचायत भूमि को नीले रंग से, आरक्षित भूमि को हरे रंग से एवं प्राइवेट भूमि को भूरे रंग से दर्शाया गया है। KML अपलोड की गयी है।								

अतः अनुरोध है कि उक्तानुसार अपने स्तर से सूचना प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी देहरादून को प्रेषित करने की कृपा करें।

संलग्न पत्रानुसार।

भवदीय

अधिसासी अभियन्ता

रा०मा० खण्ड लो०नि०वि०

लोहाघाट

दिनांक

/ / 2024

संख्या / चारधाम परियोजना/चम्पावत बाईपास  
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित:-

- 1- क्षेत्रीय अधिकारी-मुख्य अभियन्ता भारत सरकार सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय देहरादून।
- 2- मुख्य अभियन्ता राष्ट्रीय राजमार्ग लो०नि०वि० देहरादून।
- 3- अधीक्षण अभियन्ता रा०मा० वृत्त लो०नि०वि० हल्द्वानी।
- 4- जिलाधिकारी चम्पावत।
- 5- सहायक अभियन्ता रा०मा० खण्ड लो०नि०वि० लोहाघाट।

अधिसासी अभियन्ता

रा०मा० खण्ड लो०नि०वि०

लोहाघाट